न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–35/2017/टोंक (2017/00030)

1. गोपाल लाल पुत्र स्व0 रामसहाय शर्मा,
2. बजरंग लाल पुत्र स्व0 रामसहाय शर्मा,
3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामसहाय शर्मा,
4. दामोदर पुत्र स्व0 रामसहाय शर्मा,

जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र केसरा (कथित दत्तक पुत्र हरदेवा)
2. मनफूली बेवा नारायण,
3. रामअवतार पुत्र केसरा कथित दत्तक पुत्र बद्री,
4. रामचन्द्र पुत्र जगदीश कथित दत्तक पुत्र नारायण,
5. कैलाश पुत्र जगदीश,

जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम अजीतपुरा, तह0 निवाई जिला टोंक ।

6. तहसीलदार भू–अभिलेख, तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 30.3.2017 अंतर्गत अपील संख्या 37/2010.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4.

निर्णय

दिनांक :– 19.4.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में तहसीलदार, निवाई द्वारा संस्थित नामांतकरण

संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर नामांतकरण विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने का कथन करते हुए नामांतकरण संख्या 5 अपास्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनाक 30.3.2017 द्वारा अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर नामांतकरण संख्या 5 को यथावत् रखने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए अधी0न्याया0 में प्रस्तुत सजरे की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पूर्वज ज्ञानाराम थे जिनके तीन पुत्र डालूराम, हीरालाल व मोहन हुए । डालूराम का पुत्र कल्याण, कल्याण का पुत्र रामसहाय तथा रामसहाय के पुत्रगण अपीलांट्स संख्या 1 से 4 है । हीरालाल के तीन पुत्र हरदेवा, गंगासहाय व केसरा हुए तथाा मोहना के कोई वारिस नहीं होने से हीरालाल का पुत्र केसरा उसके यहां गोद जाने से केसरा दत्तक पुत्र मोहना हुआ । हरदेवा व गंगासहाय संवत् 2011 के भू–प्रबंध होने से पूर्व फौत हो चुके थे, जिनमें मोहना संवत् 1994 में तथा गंगासहाय संवत् 2003 में तथा हरदेवा संवत् 2003 में फौत हुए । इस संबंध में जागा की पौथी अधी0न्याया0 में पेश की गई थी । गंगासहाय की पगड़ी रामसहाय के बंधी थी तथा उसी को टीका बैठाया था यानि गंगासहाय की जमीन, जायदाद का मालिक सभी भाईयों ने मिलकर रामसहाय को बना दिया था। उस समय के कानून के तहत गंगासहाय का हिस्सा रामसहाय को मिला, क्योंकि ओल्ड हिन्दू लॉ के तहत लड़कियों व पत्नि का हक नहीं होता था । इस कारण भू–प्रंबंध संवत् 2011 के समय रामसहाय को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाया जाकर जमाबंदी में अंकन कर दिया गया । इसी तरह हरदेवा के संवत् 2011 से पूर्व फौत हो जाने के कारण ओल्ड हिन्दू लॉ के तहत पुत्रियों का कोई हक नहीं होने से हरदेवा का 1/3 हिस्सा केसरा दत्तक पुत्र मोहना को प्राप्त हुआ, क्योंकि हरदेवा के फौत होने पर समस्त क्रिया कर्म केसरलाल ने किया था तथा पारिवारवालों ने हरदेव की जायदाद का मालिक केसरलाल को टींका बैठाकर कर दिया था । इसी कारण केसरा दत्तक पुत्र के नाम भू–प्रबंध विभाग द्वारा बंदोबस्त संवत् 2011 में बनाई गई जमाबंदी में 1/2 हिस्से का इंद्राज किया गया था तथा उक्त इंद्राज यथावत् चलता रहा और उसी अनुसार अपीलांट्स अपने पिता रामसहाय के समय से 1/2 हिस्से को बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे है । इसी कारण हरदेवा की पुत्रियों व गंगा सहाय की पत्नि हरकूरी ने दिनांक 16.8.2010 को ग्राम जुगलपुरा खुर्द, जो उसका पीहर है, में फौत हुई थी, ने कोई ऐतराज उक्त जमाबंदी

के विषय में नहीं किया। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि तहसीलदार, निवाई को जरिये नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 के द्वारा जगदीश, जो केसरा का पुत्र है, उसे हरदेवा का पुत्र बताकर 1/3 हिस्से की खातेदारी जगदीश पुत्र हरदेवा को देने का अधिकार नहीं था जबकि जगदीश, हरदेवा का पुत्र ही नहीं था बल्कि वह केसरा दत्तक पुत्र मोहना का पुत्र था तथा स्कूल सर्टिफिकेट में भी उसका नाम जगदीश पुत्र केसरा वर्णित है तथा जगदीश के पास हरदेवा के गोद जाने का रजिस्टर्ड गोदपत्र भी नहीं था तथा ना ही किसी सक्षम न्यायालय का गोदनामा संबंधी उदघोषणा की डिक्री थी । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण के माध्यम से तहसीलदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर मानने में त्रुटि कारित की है क्योंकि नामांतकरण संख्या 5 प्रारंभ से अवैध एवं शून्य था तथा अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने की समय सीमा नहीं है ।

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित नामांतकरण स्वामित्व बाबत् पारिवारिक विवाद है, जिसके स्वामित्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 जगदीश द्वारा प्रस्तुत निर्णय विद्वान जिलाधीश, टोंक दिनांक 22.12.2011 से जगदीश को स्व0 हरदेवा व उसकी पत्नि स्व0 श्रीमती मूली का दत्तक पुत्र घोषित किया गया है जबकि उक्त निर्णय को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने न्यायालय न्यायाधीश, टोंक के यहां वाद प्रस्तुत कर रखा है, इसलिये उक्त निर्णय अंतिम नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने यह भी कथन किया कि तथाकथित नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 का है जबकि जिलाधीश,टोंक का निर्णय दिनांक 22.12.2011 का है जो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.3.2017 एवं नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 को अपास्त किया जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । हीरालाल के तीन पुत्र क्रमशः हरेदवा, केसरा व गंगासहाय हुए । हरदेवा के तीन लड़कियां क्रमशः लाडा, भूली व रूकमा हुई । हरदेवा के कोई पुत्र नहीं होने से हरदेवा ने अपने जीवनकाल में जगदीश को गोद लिया था तथा मान0 जिला न्यायाधीश, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2011 से जगदीश को हरदेवा का गोद पुत्र घोषित किया है । विद्वान वकील रेस्पोर्डेटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 5 के विरूद्ध लगभग 49 वर्षो के बाद भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब के भी संतोषप्रद एवं उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण संख्या 5 पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर है जो यह दर्शाता है कि अपीलांट्स की उक्त

नामांतकरण में स्वीकृति है । अपीलांट्स रामसहाय को गंगासहाय के गोद जाने बताते है किन्तु रामसहाय तो कल्याण का इकलौता पुत्र है जो गोद नहीं जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 के विरूद्ध लगभग 49 वर्षो के भारी विलंब उपरांत अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 में विलंब के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में जानकारी स्रोत पटवारी हल्का से होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में पटवारी हल्का का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे विलंब के संबंध में किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा मियाद बिन्दु पर अपीलांट की अपील अपास्त करने में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट्स का मुख्य विवाद हरदेवा की आराजियात को लेकर है जबकि इसके विपरीत रेस्पो0 जगदीश को मान0 जिला न्यायाधीश, टोंक ने वाद संख्या 5/2011 निर्णय दिनांक 22.12.2011 द्वारा मृतक हरदेवा पुत्र हीरालाल व उनकी पत्नि मूली का दत्तक पुत्र घोषित किया है । नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 21.10.1962 का अवलोकन किया गया जिसमें यह नोट अंकित किया गया है कि'' नामांतकरण सर्व श्री केसरा, रामसहाय, पांचू पंच, सूरजमल पटवारी की उपस्थिति में पेश हुआ । केसरा व रामसहाय भूमि में अपने भतीजे जगदीश पुत्र हरदेवा का हिस्सा 1/3 भी कायम करना चाहते है । अतः भूमि पर केसरा पि0 मोहन, रामसहाय पुत्र कल्याण व जगदीश पुत्र हरदेवा के नाम हिस्सा बराबर दर्ज किया जावे '' उक्त इंद्राज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जगदीश के नाम हरदेवा की आराजियात अपीलांट्स के पिता रामसहाय एवं केसरा पुत्र हीरालाल की सहमति से दर्ज की गई है तथा उक्त नोट पक्षकारान की सहमति को दर्शाता है । अपीलांट्स के पिता रामसहाय की सहमति से नामांतकरण संख्या 5 संस्थित किये जाने के उपरांत अपीलांट्स का यह कथन कि तथाकथित नामांतकरण की अपीलांट्स को जानकारी नहीं होने संबंधी किया गया कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । रेस्पो0 जगदीश सिविल न्यायालय से मृतक हरदेवा का दत्तक पुत्र घोषित है एवं उक्त निर्णय को अपास्त कराये बिना अपीलांट्स कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 35/2017 (2017/00030) बउनवानी गोपाल लाल बनाम जगदीश को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपील संख्या 137/2010 बउनवान गोपाल लाल बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 19.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर